महत्वपूर्ण

संख्या: 65/2017/3650/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-5

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के द्वितीय चरण के लाभार्थी कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल ऋण मोचन योजना के द्वितीय चरण के लाभार्थी कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) द्वितीय चरण हेतु लाभार्थी कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हेतु **कैम्प का आयोजन दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 को तहसील स्तर पर** आयोजित किया जाये।

(2) उक्त ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण हेतु आयोजित होने वाले कैम्प तहसील स्तर पर उपलब्ध किसी उपयुक्त हॉल में आयोजित किये जायें।

(3) उक्त आयोजित होने वाले कैम्प के व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता पर विशेष ध्यान रखा जाये।

(4) ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा मा0 सांसदगण/मा0 विधायकगण को आमंत्रित किया जाये। मा0 प्रभारी मंत्रीगणों को उनकी सुविधानुसार आमंत्रित किया जाये।

2. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 65/2017/3650 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।